(वाद संo– 854/4/9/2022)

18.09.2023

प्रसंगाधीन मामला परिवादी, दशरथ सहनी, की पत्नी, ऊषा देवी, का अनुमण्डल अस्पताल, बगहा, पश्चिमी चम्पारण, बेतिया के चिकित्सक, सुरेन्द्र प्रसाद अग्रवाल, से नसबंदी का ऑपरेशन कराने के बाद भी उसे एक पुत्री उत्पन्न होने के कारण, उसके परवरिश तथा क्षतिपूर्ति दिलाये जाने से सम्बन्धित है।

उक्त पर **अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना** से प्रतिवेदन की मांग गई। **विशेष कार्य पदाधिकरी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना** के द्वारा **असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण, बेतिया** को परिवादी के परिवाद पत्र पर वांछित प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया। उक्त के आलोक में विशेष कार्य पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना द्वारा असैनिकशल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण, बेतिया का प्रतिवेदन राज्य आयोग को समर्पित किया गया। विशेष कार्य पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना के प्रतिवेदन के साथ अनुलग्निन **असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बगहा, पश्चिमी चम्पारण**, **बेतिया** के प्रतिवेदनानुसार, ‘‘Failure of Sterilization की स्थिति में आवेदन–सह–सहमति प्रपत्र की कंडिका–6 में अंकित है कि यदि इस शल्य क्रिया (बंध्याकरण) के उपरांत मुझे मासिक धर्म नहीं आता है तो मैं दो सप्ताह के अन्दर स्वास्थ्य केन्द्र/चिकित्सक को सूचित करूँगी तथा निःशुल्क गर्भपात (MTP) की सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकती हूँ अन्यथा गर्भधारण से संबंधित परिणामों के लिए मैं खुद जिम्मेवार रहूँगी।

Manual for Family Planning indemnity Scheme (NFPIS) के अन्तर्गत दावे के संबंध में प्रावधान है कि The Claims will fall within the “Family Planning Indemnity Scheme”only if the beneficiary files the

claims with the DISC within 90 days from the occurrence of event of death/failure/complication.

प्रतिवेदनानुसार, उपयुक्त तथ्यों के आधार पर असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी (सिविल सर्जन), पश्चिमी चम्पारण, बेतिया के द्वारा परिवादी के द्वारा प्रस्तुत दावे को अमान्य बताया गया है, जो उपयुक्त प्रतीत होता है।

उपरोक्त पर परिवादी से प्रत्युत्तर की माँग की गई। परिवादी द्वारा अपने प्रत्युत्तर में असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण, बेतिया के प्रतिवेदन का प्रतिवाद किया गया है तथा उसका कथन है कि गर्भधारण करने की जानकारी मिलते ही दो सप्ताह के अन्दर ही उसकी ओर से सम्बन्धित अस्पताल के चिकित्सक को **मौखिक शिकायत** की गई। जब उनके द्वारा उसके मौखिक शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो थक हार कर उसकी ओर से राज्य आयोग को प्रसंगाधीन परिवाद दाखिल किया गया।

उल्लेखनीय है कि **Manual for Family Planning indemnity Scheme (NFPIS) के अन्तर्गत दावे के संबंध में जो नियम प्रावधानान्तर्गत है, के उक्त नियम के आलोक में परिवादी प्रसंगाधीन मामले में मुआवजा की राशि पाने के अधिकारी प्रतीत नहीं हो रहे हैं।**

अतः उपरोक्त के आलोक में प्रसंगाधीन मामले को राज्य आयोग के स्तर से मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में नहीं पाकर संचिकास्त किया जाता है।

कार्यालय, आज पारित आदेश के साथ असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी (सिविल सर्जन), पश्चिमी चम्पारण, बेतिया के प्रतिवेदन (पृष्ठ 46–24/प0) की प्रति संलग्न कर तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक